कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद–लखनऊ

पत्रांक : मु0चि0अ0 / नि0चि0प्र0 / व्य0प्रशि0/FI College/2018/ 1001-2 दिनांक : 03/7/1

चिकित्सा अधीक्षक
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
सरोजनी नगर, लखनऊ

विषय : एफ0 आई0 कालेज ऑफ नर्सिंग, लखनऊ में अध्ययनरत् की ए0एन0एम0 नर्सिंग की छात्र / छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निदेशक, एफ0 आई0 कालेज ऑफ नर्सिंग, 37-कैन्ट रोड, लखनऊ ने अपने पत्रांक–2018/68 दिनांक 27.06.2018 के माध्यम से अपने संस्थान में अध्ययनरत् ए0एन0एम0 नर्सिंग के छात्र / छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरोजनी नगर, लखनऊ पर व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित संस्थान के प्रतिनिधि द्वारा विषयगत् सन्दर्भ में आपसे सम्पर्क किये जाने पर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा जाये कि प्रशिक्षण अवधि में चिकित्सालय का राजकीय कार्य किसी भी दशा मे बाधित न होने पायें।

3/7/18

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लखनऊ

पत्रांक : मु0चि0अ0 / नि0चि0प्र0 / व्य0प्रशि0/FI College/2018/ 1001-2 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. क्षेत्रीय अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।
2. निदेशक, एफ0 आई0 कालेज ऑफ नर्सिंग, 37-कैन्ट रोड, लखनऊ को उनके पत्रांक : 2018/68 दिनांक 27.06.2018 के क्रम में।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लखनऊ

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका
बलरामपुर चिकित्सालय/श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय/
वीरांगना झलकारी बाई महिला चिकित्सालय, लखनऊ।

संख्या– प्रशि0प्रको0/04/2014/7597 लखनऊ : दिनांक 7/12/ 2017

विषय– जी0एन0एम0 की छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशक एफ0आई0 कालेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ के प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.12.2016 एवं शासनादेश संख्या–4520/पॉच–8–2015–एन0(138)/2008टी0सी0 दिनांक 29.12.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संबंध में कहना है कि शासन के पत्र संख्या–4520/पॉच–8–2015–एन0(138)/2008टी0सी0 दिनांक 29.12.2015 एवं शासनादेश संख्या–2519/पॉच–8–2012–एन0(138)/2008,दिनांक 25.10.2012, में दी गयी शर्तो के अधीन एफ0आई0 कालेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ में प्रशिक्षणरत् जी0एन0एम0 छात्र/छात्राओं को वीरांगना झलकारी बाई महिला चिकित्सालय,लखनऊ/बलरामपुर चिकित्सालय/श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, लखनऊ से (वर्ष 2018) व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति निम्न शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैं।

1– सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं की डियूटी जिला चिकित्सालय पर नियमित रूप से कार्यरत उपचारिकाओं के साथ लगायी जायेगी जिससे मरीजों को चिकित्सीय सुविधा सुचारू रूप से प्राप्त होगी तथा निजी संस्था की उपचारिका प्रशिक्षुओं के राजकीय चिकित्सालयों में कोई दुर्घटना/रोगियों की क्षति होने की संभावना अधीक्षक जिला चिकित्सालय संबंधित संस्था को पत्र प्रेषित कर कार्यवाही की संस्तुति करेगें तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उक्त प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूर्ण होने पर व्यवहारिक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र निर्गत करेगें। उक्त व्यावहारिक प्रशिक्षण न्यूनतम 06 माह की अवधि का होगा।

2– सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रत्येक उपचारिका प्रशिक्षु की दर से छः माह हेतु रूपया–1000/– यूजर चार्जेज के रूप में जमा किया जायेगा।

3– निजी क्षेत्र के सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को अधिकतम 05 बैंच को ही व्यावहारिक प्रशिक्षण दिये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त अनुमति मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संयुक्त आख्या पर महानिदेशक की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा 05 वर्षो हेतु निर्गत की जायेगी।

4– सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्था की शासन द्वारा निर्गत अनुमति का नवीनीकरण गुणवत्ता के आधार पर वर्ष–प्रति वर्ष प्रस्तर–3 में वर्णित अवधि तक के लियें महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।

5– उक्त सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को दी गयी अनुमति को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय शासन द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

पत्र संख्या–प्रशि0प्रको0/04/2014/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निदेशक, एफ0आई0 कालेज ऑफ नर्सिंग 37 कैन्ट रोड, लखनऊ।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)